PRESS NOTE MEERUT RANGE

प्रैस विज्ञप्ति दिनांकः 18.05.2019 जनपद बुलन्दशहर

थाना स्याना पुलिस द्वारा लूट की घटना मे फरार/वांछित 25000 रुपये का पुरूस्कार घोषित अपराधी मोनी त्यागी लूटी गयी नकदी व अवैध अस्लाह मय कारतूस सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी स्याना श्री धनप्रकाश त्यागी के निकट पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 18.05.19 को प्रभारी निरीक्षक स्याना श्री विजय कुमार मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र मे तलाश वांछित व संदिग्ध वाहन/व्यक्तियो की चैकिंग मे मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 25000 रूपये का एक पुरूस्कार घोषित अपराधी जिसके द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर करीब 03 माह पूर्व अपने ही गांव के प्रमोद के साथ लूटपाट की गयी थी, वह अभियुक्त बुगरासी चौराहा कस्बा स्याना में कही जाने की फिराक मे खडा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक स्याना मय पुलिस फोर्स के मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे तो अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर अभियुक्त को समय करीब 12.10 बजे लूटे गये रूपये व अवैध अस्लाह सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

1– मोनी त्यागी पुत्र गिरीश त्यागी निवासी ग्राम किसौला थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरण–

1– लूटे गये रूपये मे से 10,000 रूपये नकद।
2– 01 तंमचा 315 मय 02 जिन्दा कारतूस।

अभियुक्त मोनी त्यागी ने पूछताछ पर बताया कि उसके गांव का प्रमोद पुत्र ब्रहानन्द शर्मा जो गांव मे एसबीआई बैंक की मिनी शाखा चलाता है तथा प्रतिदिन कस्बा स्याना एसबीआई बैंक शाखा से पैसे लेकर आता है। अभियुक्त मोनी त्यागी द्वारा अपने गांव के ही साथी अमिष व अन्य तीन दोस्त रितेश, सोनू उर्फ डॉक्टर एवं देवेश के साथ मिलकर प्रमोद को लूटने की योजना बनायी। दिनांक 05.02.19 को उपरोक्त सभी अभियुक्तो द्वारा प्रमोद से उस समय लूटपाट की गयी थी जब प्रमोद एसबीआई शाखा स्याना से मिनी बैंक के लेन–देन के लिए 1,64,000 रूपये निकालकर मोटर साईकिल से अपने घर आ रहा था तो बुगरासी रोड पर अभियुक्तो ने रूपये से भरा बैग व अन्य कागजात लूट लिए थे एवं वादी का मोबाईल फोन तोडकर फरार हो गये थे जिसके संबंध मे थाना स्याना पर मुअसं–25/19 धारा 395,412,427 भादवि पंजीकृत है। इस घटना में संलिप्त अभियुक्त अमिष को थाना स्याना पुलिस द्वारा दिनांक 06.03.19 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस अभियोग में अभियुक्त मोनी त्यागी की गिरफ्तारी नही हो सकी थी तथा वह लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रूपये का पुरुस्कार घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त मोनी त्यागी थाना बीबीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–22/19 धारा 363/366 भादवि मे भी वांछित चल रहा था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्याना पर मु0अ0सं0–130/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–</u>

1– श्री विजय कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना स्याना
2– श्री आनन्दवीर सिंह व0उ0नि0 स्याना
3– उ0नि0 संदीप कुमार थाना स्याना
4– है0का0 भानू प्रताप, का0 दीपक कुमार, का0चालक शैलेन्द्र।

PRESS NOTE

दिनांक 18.05.2019

जनपद बागपत पुलिस का सराहनीय कार्य

- **आबकारी अधि0 मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक कार, एक मो0सा0 मय 12 पेटी व 75 पव्वे देशी शराब नाजायज बरामद।**

थाना खेकडाः– पुलिस द्वारा पटटी अहीरान कस्बा खेकडा से अभियुक्त 1–कल्लू पुत्र गुलाब सिंह निवासी धास मण्डी कस्बा व थाना खेकडा 2–राहूल पुत्र रतन सिंह निवासी मौहल्ला विजयनगर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है अभियुक्तों के कब्जे से एक मो0सा0 सूपर स्पलेण्डर नम्बर–डीएल–13एसए–1075 मय 75 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का व पेरिफेरल हाईवे रेलवे ओवर ब्रज के पास से एक मारूति जैन कार नम्बर–डीएल–3सीएडी–1296 मय 12 पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद की गई।

- **08 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना रमालाः– पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 70/19 धारा 147, 148, 149, 323, 325 भादवि मे वांछित अभियुक्त 1–हरेन्द्र पुत्र सरदार 2–धर्मेन्द्र पुत्र सरदार 3–नितिन पुत्र ब्रहमपाल 4–जसवीर पुत्र ब्रहमपाल 5–कल्लू पुत्र करतार सिंह 6–राजेन्द्र पुत्र मांगेराम समस्त निवासीगण–ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।

थाना बडौतः– पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 333/19 धारा 452, 354डी, 376, 511 भादवि व 7/8 पोक्सो अधि0 मे वांछित अभियुक्त टिंकू पुत्र चन्दर सिंह निवासी लोयन पटटी कस्बा व थाना बडौत व मु0अ0सं0 349/19 धारा 363, 376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधि0 मे वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र विनोद निवासी पटटी रावण ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।

- **शस्त्र अधि0 मे एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद।**

थाना कोतवाली बागपतः– पुलिस द्वारा धनश्याम गेट के पास से अभियुक्त फरमान पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 18.05.2019 जनपद मेरठ

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा ऑनलाईन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा एवं अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.09.2018 को थाना सदर बाजार मेरठ पर पंजीकृत **मु0अ0स0 451/18 धारा 420/467/468/471 भादवि व 66 आई.टी. एक्ट** मुकदमा वादी श्री प्रवीण कुमार निवासी सारू सिल्वर अलायन्ज प्रा0लि0 3 सारूनगर सरधना रोड़ मेरठ बनाम अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत कराया था जिसमे अंकित कराया था कि उसकी उक्त कम्पनी के खाते के मोबाइल नम्बर को हैक कर खाते से **11756000/-(एक करोड़ सत्तरह लाख छप्पन हजार रूपये)** निकाल लिये गये उक्त मामले की गम्भीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन मे एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक क्राइम/पुलिस अधीक्षक नगर/अपर पुलिस अधीक्षक कैन्ट के निकट पर्यवेक्षण मे निरीक्षक श्री धनप्रकाश दक्ष के नेतृत्व मे थाना सदर बाजार/साईबर सैल की टीम गठित कर टीम को घटना मे त्वरित अनावरण के लिये लगाया गया था उक्त मुकदमे की विवेचना/साइबर सैल की जाँच के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त गौरव सोनी एवं नितिन चौहान को दिनांक 11.05.2019 स्थानीय पुलिस एवं साइबर क्राइम टीम द्वारा भैसाली बस अड्डे से गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया गया था। गिरफ्तार उक्त दोनो व्यक्तियों से पूछताछ एंव जानकारी में आया था कि उक्त घटना को कारित करने में कई और अन्य व्यक्ति जो मास्टर माईन्ड है। अलग-अलग राज्य के रहने वाले है तथा उक्त धोखा धडी की गयी रकम उनके विभिन्न बैंको के खातो में ट्रान्सफर कर निकाली गयी है। जिनमे प्रकाश मे आये अभियुक्तगण **(1) तरुण छिपा पुत्र श्री अमीरचन्द छिपा निवासी म0न0 175 फेस 5 अयोध्या नगर थाना अयोध्या नगर भोपाल (मध्य प्रदेश), (2) सलमान कुरैशी पुत्र सलीम कुरैशी निवासी म0न0 224 सुदामा नगर गली न0 1 गोविन्द गार्डन थाना एसबाग भोपाल (मध्य प्रेदश), (3) कालीचरन पुत्र परमाल निवासी मौहल्ला कृष्ण गंज पिलखुवा जिला हापुड** को आज दिनांक 18.05.2019 को गिरफ्तार किये गये तथा उक्त अभियुक्तगणो मे से गिरफ्तारशुदा **अभियुक्त तरुण छिपा** उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरे विभिन्न बैको मे खाता खुलवाने मे मेरी मदद सलमान व राम सिंह मेहता आदि ने की थी। मेरे खाते खुलवाकर उनमे करीब 50-60 लाख रुपया ट्रान्सफर किया गया तथा उक्त पैसे को खाते से निकलवाकर राम सिंह मेहता आदि द्वारा ले लिया गया। जिसमे से कुछ रकम मेरे तथा सलमान के हिस्से में भी आयी थी। उक्त अभियुक्तगणो द्वारा उक्त घटना का जुर्म इकबाल किया गया है। उक्त अभियुक्तगणो का एक संगठित गिरोह है

जो बैंको से आनलाईन ट्रान्जेक्शन कर धोखाधड़ी करते है तथा उक्त घटना से सम्बन्धित अन्य अभियुक्तो की तलाश एव सम्बन्धित बैंको मे खाते सीज करने की कार्यवाही पुलिस द्वारा करायी जा रही है।

पूर्व में दिनांक 11.05.2019 को गिरफ्तार अभियुक्त

1. गौरव सौनी पुत्र नत्थु शाह निवासी 25 एकड़ कालोनी लालकुआ थाना लालकुआ जिला नैनीताल
2. नितिन चौहान पुत्र राजपाल सिंह निवासी गली न0 01 म0न0 130 विजयनगर ए ब्लाक जिला गाजियाबाद।

आज दिनांक 18.05.2019 को गिरफ्तार अभियुक्त

1. तरुण छिपा पुत्र श्री अमीरचन्द छिपा निवासी म0न0 175 फेस 5 अयोध्या नगर थाना अयोध्या नगर भोपाल (मध्य प्रदेश)
2. सलमान कुरैशी पुत्र सलीम कुरैशी निवासी म0न0 224 सुदामा नगर गली न0 1 गोविन्द गार्डन थाना एसबाग भोपाल (मध्य प्रदेश)
3. कालीचरन पुत्र परमाल निवासी मौहल्ला कृष्ण गंज पिलखुवा जिला हापुड

अभियुक्तो के बरामदगी का विवरण

- विभिन्न बैको की अलग अलग नामो से बैक के ए.टी.एम व आई.डी. कार्ड व चैक बुक।

(2)

थाना लिसाडी गेट पुलिस द्वारा मोबाइल, पर्स, चैन लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश व 03 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.05.2019 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मेरठ व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मेरठ व श्रीमान क्षेत्राधिकारी कोतवाली महोदय के निर्देशों के अनुक्रम में मुझ प्रभारी निरीक्षक थाना लिसाडी गेट मेरठ द्वारा मय हमराही पुलिस बल व पुलिस अधीक्षक नगर महोदय की टीम के मुखबिर की सूचना पर जनपद मे लूटपाट की घटनाओ को अंजाम देने वाले शातिर किस्म के तीन अभि0गणो को 100 फुटा फतेहउल्लापुर फातिमा तिराहे से समय करीब 09.15 बजे गिरफ्तार किया गया। जिन्होने पूछताछ में मेरठ शहर में जगह जगह मोबाइल व चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अन्जाम देना स्वीकार किया है व जिनसे लूट की चैन व मोबाइलों की बरामदगी हुई है। जिसका विवरण निम्नवत है।

<u>अभियुक्तों से बरामदगी का विवरणः-</u>

1. तीन अदद पीली धातु की चैन
2. दो अदद तमन्चे 315 बोर व तीन जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 10 अदद मोबाईल टच स्क्रीन भिन्न-भिन्न कम्पनीयों के।

अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. शौकत उर्फ मोनी पुत्र मुस्तकीम नि0 रोडवेज के पीछे इस्लामनगर कस्बा व थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।
2. समीर उर्फ बिट्टू पुत्र क्य्यूम नि0 श्यामनगर हाल सुहैल गार्डन थाना लिसाड़ी गेट मेरठ
3. इमरान पुत्र अनवार कुरैशी नि0 इस्लामनगर नाले के पास कस्बा व थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर

अभियुक्तों का अपराध करने का तरीका –

अभियुक्तगण एक शातिर किस्म के अभ्यस्त लुटेरे है जो राह चलती महिलाओं का बाईक से पीछा कर उनसे चैन/पर्स/मोबाइल लूटने का अपराध करते है।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

1. अभियुक्त शौकत उर्फ मोनी पुत्र मुस्तकीम निव थाना खतौली जिला रोडबेज के पीछे इस्लामनगर कस्बा 0 -मुजफ्फरनगर का आपराधिक इतिहासः

क्र0सं0	मु0सं0अ0	धारा	थाना	जनपद
1	13/511	भादवि 392	इन्चौली	मेरठ
2	13/451	भादवि 392	कंकरखेड़ा	मेरठ
3	13/808	भादवि 392	दौराला	मेरठ
4	13/360	भादवि 392	लालकुर्ती	मेरठ
5	13/379	भादवि 392	लालकुर्ती	मेरठ
6	13/199	भादवि 411, 392	सिविल लाईन	मेरठ
7	17/327	भादवि 394	गंगानगर	मेरठ
8	17/481	भादवि 411, 392	कविनगर	गाजियाबाद
9	17/455	307 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
10	17/410	392 ,411 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
11	17/513	392 ,411 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
12	17/526	392 ,411 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
13	17/431	392 ,411 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
14	17/556	25 ए एक्ट	कविनगर	गाजियाबाद
15	17/818	392 ,411 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
16	17/1808	307 भादवि	सिहानीगेट	गाजियाबाद
17	17/1962	25 ए एक्ट	सिहानीगेट	गाजियाबाद
18	17/1437	392 ,411 भादवि	सिहानीगेट	गाजियाबाद
19	17/1085	393 भादवि	सिहानीगेट	गाजियाबाद
20	17/1964	482,411,420 भादवि	सिहानीगेट	गाजियाबाद

21	17/352	392 ,411 भादवि	इन्द्रापुरम	गाजियाबाद
22	17/1338	392 ,411 भादवि	इन्द्रापुरम	गाजियाबाद
23	17/1838	392 ,411 भादवि	इन्द्रापुरम	गाजियाबाद
24	17/037	379,411,420,482	सैक्टर 58	नौएडा
25	13/710	भादवि 392,411	सिविल लाईन	मेरठ
26	19/348	भादवि 411 ,392	लिसाडी गेट	मेरठ
27	19/377	भादवि 411 ,392	लिसाडी गेट	मेरठ
28	19/414	भादवि 414/411	लिसाडी गेट	मेरठ
29	19/415	ए एक्ट 25	लिसाडी गेट	मेरठ

2. अभियुक्त समीर उर्फ बिटटू पुत्र कय्यूम निश्यामनगर हाल सुहैल गार्डन थाना लिसाड़ी गेट मेरठ का 0 -आपराधिक इतिहासः

क्र0सं0	मु0सं0अ0	धारा	थाना	जनपद
1	18/1682	(पुलिसमुठभेड़) भादवि 307	लिसाड़ी गेट	मेरठ
2	18/1683	ए एक्ट 25	लिसाड़ी गेट	मेरठ
3	17/575	भादवि 394	टीपीनगर	मेरठ
4	16/439	भादवि 392	टीपीनगर	मेरठ
5	16/510	भादवि 392	परतापुर	मेरठ
6	16/538	ए एक्ट 25	परतापुर	मेरठ
7	16/536	420,411,414भादवि	परतापुर	मेरठ
8	17/7	एक्ट0गैं 3/2	परतापुर	मेरठ
9	16/316	भादवि 457,380	लालकुर्ति	मेरठ
10	17/718	भादवि 356,379	मेडिकल	मेरठ
11	17/437	भादवि 356,379	सिविल लाईन	मेरठ

12	17/494	भादवि 420	सदरबाजार	मेरठ
13	17/504	भादवि 356,379	सदरबाजार	मेरठ
14	18/374	गैंगस्टर एक्ट 3/2	नौचन्दी	मेरठ
15	17/575	भादवि 394,411	नौचन्दी	मेरठ
16	17/573	भादवि 392	नौचन्दी	मेरठ
26	19/348	भादवि 411 ,392	लिसाडी गेट	मेरठ
27	19/377	भादवि 411 ,392	लिसाडी गेट	मेरठ
28	19/414	भादवि 414/411	लिसाडी गेट	मेरठ
29	19/416	ए एक्ट 25	लिसाडी गेट	मेरठ

3. अभियुक्त इमरान पुत्र अनवार कुरैशी निइस्लामनगर नाले के पास कस्बा व थाना खतौली जिला 0 मुजफ्फरनगर का आपराधिक इतिहासः -

क्र0सं0	मु0सं0अ0	धारा	थाना	जनपद
1	19/414	भादवि 414/411	लिसाडी गेट	मेरठ

<u>अवैध सट्टे की खाईबाडी करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार</u>

<u>थाना लिसाडी गेट पुलिस द्वारा</u> हुसैन का मकान गली नं0 13 अहमद नगर से अभियुक्तगण 1. आरिफ पुत्र इब्राहिम मंसूरी नि0 ग0न0 3 श्यामनगर थाना लिसाठीगेट मेरठ, 2, यासीन पुत्र रशीद अहमद नि0 ग0न0 13 अहमद नगर थाना लिसाड़ीगेट मेरठ, 3. सलमान पुत्र इस्लामुद्दीन नि0 ग0नं0 16 अहदम नगर थाना लिसाड़ीगेट मेरठ 4. सलीम पुत्र मोहम्मद शफीक नि0 ग0नं0 13 अहमद नगर थाना लिसाड़ी गेट मेरठ, 5. इरफान पुत्र अय्यूब नि0 उपरोक्त, 6. मौ0 शहजाद पुत्र शहाबुद्दीन अंसारी नि0 उपरोक्त, 7. मोहम्मद जाहिद पुत्र साजिद नि0 मजीदनगर थाना लिसाड़ी गेट मेरठ, 8. मौहम्मद शरीफ पुत्र हनीफ नि0 ग0नं0 13 लिसाड़ी गेट मेरठ, 9. शकील पुत्र अब्दुल सत्तार नि0 उपरोक्त, 10. महराज पुत्र रियाजुद्दीन नि0 ग0न0 18 लिसाड़ी गेट अहमद नगर मेरठ, 11. मौ0 इकबाल उर्फ निक्की पुत्र नसरूदीपन नि0 ग0नं0 12 अहदम नगर थाना लिसडीगेट मेरठ, 12. शमशुद्दीन पुत्र अमीरूद्दीन नि0 ग0नं. 3 आजाद नगर थाना लिसाड़ी गेट मेरठ, 13. मो0 अबरार पुत्र जब्बार नि0 ग0न0 13 अहमद नगर थाना लिसाड़ी गेट मेरठ, 14. ताहिद पुत्र मौहम्मद बाबू नि0 उपरोक्त, 15. मौ0 शादाब पुत्र मौहम्मद शब्बीर नि0 उपरोक्त, 16. मौ0 अनबर पुत्र शहाबुद्दीन नि0 ग0नं0 21 अहदमनगर थाना लिसाडी गेट मेरठ, 17. मौहम्मद असरफ शेख पुत्र असरफ नि0 ग0नं0 6 श्यामनगर थाना लिसाड़ीगेट मेरठ, 18. उमर दराज पुत्र मौ0 शाहिद नि0 ग0न0 6 अहदम नगर थाना लिसाड़ीगेट मेरठ, 19. मौ0 रहीस पुत्र मौ0 नाजर अंसारी नि0 ग0नं0 13 अहदम नगर थाना लिसाड़ी गेट मेरठ, 20. मौ0 सलीम पुत्र

लियाकत नि0 ग0नं0 15 अहदम नगर थाना लिसाड़ी गेट मेरठ, 21. मोहम्मद शाजिद पुत्र मुस्ताक नि0 ग0नं0 13 अहदम नगर थाना लिसाड़ीगेट मेरठ, 22 . मौ0 गुल सनब्बर पुत्र मौ0 सलीम शेख नि0 उपरोक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सट्टे की खाईबाडी करते हुए 19210/- रूपये नगद, 04 गड्डी सट्टा पर्ची, 04 बाल पेन्सिल व गत्ता बरामद होना। अभियुक्तो के विरूद्ध थाना लिसाडी गेट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

<u>थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा</u> नंगलाबट्टू रोड पर मन्दिर के पास से अभियुक्तगण 1. पवन कुमार पुत्र चौडा प्रसाद नि0 423 नंगला बटटू प्रभातनगर थाना सि0ला0 मेरठ, 2. सुशील पुत्र निहाल सिंह नि0 उपरोक्त, 3. रवि कुमार पुत्र रतनलाल नि0 194/15 मानसरोवर थाना सि0ला0 मेरठ, 4. मनोज पुत्र सतीश नि0 शिव शक्ति नगर मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सट्टे की खाईबाडी करते हुए गत्ता, पेन, पर्चा सट्टा व 2620/- रूपये नगद बरामद होना। अभियुक्तो के विरूद्ध थाना सिविल लाईन पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

<u>थाना कंकरखेडा पुलिस द्वारा</u> लाल मौहम्मदपुर मस्जिद टावर पुल के पास से अभियुक्त सुलेमान पुत्र सलीम नि0 लाला मौहम्मदपुर थाना कंकरखेडा मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सट्टे की खाईबाडी करते हुए 340/- रूपये नगद, पर्चा सट्टा, गत्ता व पेन बरामद होना। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कंकरखेडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर
दिनांक 18.05.2019 सराहनीय कार्य

थाना सैक्टर 24

एक शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 19 मोबाइल फोन (कीमत 4–5 लाख रूपये) बरामद।

दिनांक 17.05.2019 को थाना सैक्टर 24 पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर को सिटी सैन्टर के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये 19 मोबाइल फोन बरामद किये गये है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा आई ब्लाक सैक्टर 22 मे दिनांक 20.4.2019 को रात्रि मे मोबाइल फोन की दुकान का ताला तोडकर मोबाइल फोन चोरी की घटना को अंजाम दिया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. सुरेश उर्फ देवा पुत्र राम सनेही प्रजापति निवासी ग्राम उटिया थाना कबरई जिला महोबा हाल पता ग्राम मामूरा थाना फेस 3 नोएडा।

बरामदगी का विवरणः–

1. 19 अदद मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी के

अनावृत अभियोग का विवरणः–

1 मु0अ0सं0 252/2019 धारा 457/380/411 भादवि थाना सैक्टर 24 नोएडा।

थाना इकोटेक 3

थाना इकोटेक 3 के ग्राम सैनी मे हुए सनसनी खेज मोहित हत्याकांड का खुलासा

दिनांक17.05.2019 को थाना इकोटेक 3 पुलिस टीम द्वारा ग्राम सैनी के मोहित हत्याकाण्ड के चार अभियुक्तो को मुखबिर की सूचना पर थाना इकोटेक 3 क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त अमेज कार तथा अवैध शस्त्र बरामद किये गये हैं।

घटना का विवरणः–

दिनांक 16.05.19 को श्री विकास कुमार पुत्र स्व0 ऋषि नि0 ग्राम सैनी थाना इकोटेक–3 जनपद गौतमबुद्धनगर ने थाना इकोटेक तृतीय पर दिनांक 15.05.19 की शाम 9.00 बजे से अपने भाई मोहित के लापता हो जाने के सम्बन्ध में गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी। तफ्तीश मे प्रकाश मे आया कि मोहित को एक सफेद रंग की होन्डा कार नं0 यूपी 16 बीसी 9387 में 04 व्यक्तियो के साथ जाते देखा गया था। मोहित के परिवारीजनो द्वारा आशंका जताई गयी कि गांव के ही चार व्यक्ति प्रशान्त, गौरव, अखिल तथा वरूण, मोहित को होण्डा अमेज कार मे ले गये थे तथा उनके द्वारा ही मोहित की हत्या कर दी गयी है। इस पर दिनांक 16.05.2019 को ही थाना इकोटेक 3 पर मु0अ0सं0 202/19 धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था। मोहित ने 03 लाख रूपये अभियुक्त प्रशान्त को, अभियुक्त गौरव के पिता अजबसिंह को 07 लाख रूपये तथा अखिल को 17 हजार रूपये उधार दिये थे। उक्त पैसो की मांग मोहित उनसे करता था जिस कारण चारो अभियुक्त मोहित के साथ रंजिश रखने लगे थे। अभियुक्तो ने बताया कि मोहित द्वारा बार–बार उधार दिये गये रूपयो की मांग की जा रही थी। इसी कारण हम चारो लोग दिनांक 15.5.2019 को रात्रि करीब 21:00 बजे ग्राम सैनी से मोहित को होण्डा अमेज कार मे बैठाकर ले गये तथा योजना के अनुसार थोडा आगे चलकर मोहित की कार मे ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। मोहित का मोबाइल फोन रास्ते मे तोडकर फेंककर दिया था तथा मोहित की लाश को खैरली नहर मे फेंक दिया था। गिरफ्तार अभियुक्तो की

निशादेही पर मृतक मोहित का मोबाइल फोन टूटी हालत मे 130 मीटर की सर्विस रोड से तथा मृतक मोहित का शव खैरली नहर हिरनौटी गांव के सामने से बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पताः–

1. प्रशान्त पुत्र बलराज नि0 ग्राम सैनी थाना इकोटेक–3 जनपद गौतमबुद्धनगर
2. गौरव पुत्र अजब सिंह नि0 ग्राम सैनी थाना इकोटेक–3 जनपद गौतमबुद्धनगर
3. अखिल पुत्र राजेन्द्र भाटी नि0 ग्राम आजमपुर गढी थाना दनकौर गौ0बु0नगर हाल ग्राम सैनी थाना इकोटेक– गौतमबुद्धनगर
4. वरूण पुत्र देवीराम भाटी नि0 ग्राम आजमपुर गढी थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण

1.हत्या में प्रयुक्त की गयी एक सफेद रंग की होन्डा अमेज कार नं0 यूपी 16 बीसी 9387
2.अभियुक्त प्रशान्त से हत्या में प्रयुक्त एक पिस्टल देशी मय 03 कारतूस जिन्दा .32 वोर नाजायज
3. अभियुक्त गौरव से हत्या में प्रयुक्त एक तमंचा देशी मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 315 वोर नाजायज
4.अभियुक्त वरूण से हत्या मे प्रयुक्त एक तमंचा देशी मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस नाजायज
5.अभियुक्त अखिल से हत्या में प्रयुक्त एक तमंचा देशी 315 वोर मय एक खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज

अभियुक्तो का अपराधिक इतिहासः–

1.अ0सं0 202/19 धारा 302,201 भादवि थाना इकोटेक –3 गौतमबुद्धनगर
2.अ0सं0 203/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक –3 गौतमबुद्धनगर
3.अ0सं0 204/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक –3 गौतमबुद्धनगर
4.अ0सं0 205/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक –3 गौतमबुद्धनगर
5.अ0सं0 206/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक –3 गौतमबुद्धनगर

<u>जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18.05.19</u>

<u>चोरी का एक मोबाइल व 01 चाकू सहित01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u> थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा दिनांक 17.05.19 समय 23.40 बजे रंगोली तिराहे के पास से अभियुक्त किशन पुत्र स्वं0 सतपाल निवासी बी-442 ब्रजविहार थाना लिंकरोड गा0बाद को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी का एक मोबाइल जिसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है व 01 चाकू बरामद हुआ है।

<u>दिनांक 12/13.05.19 की रात्रि मे वायलर फैक्ट्री मोरटा मे डकैती करने वाले चार शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह सहित डकैती का सामान मय छोटा हाथी बरामद-</u> दिनांक 12/13.05.19 की रात्रि मे वायलर बनाने की फैक्ट्री मोरटा थाना मुरादनगर क्षेत्र से सामान लूट करने वाले सात अज्ञात बदमाशो द्वारा वायलर बनाने के उपकरण (1) SS 316-8 MM की डिश 960 डाया -21 पीस वजन -1800 किलो ग्राम (2) एल्युमिनीयम के कूलिंग टावर के पंखे -18 पीस वजन -800 किलो ग्राम (3) 1300 गोलाई वैलडिंग मशीन- 1 पीस (4) ग्राइन्डिंग मशीन -03 पीस (5) गैस कटिंग सैट - 1 सैट आदि सामान लूट लिया था, जिसके सम्बन्ध मे वादी श्री आर के अग्रवाल पुत्र श्री सुधीर कुमार निवासी 61/11 ड्यूप्लैक्स सेक्टर 5 राजेन्द्र नगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद द्वारा थाना मुरादनगर पर मु0अ0सं0 390/19 धारा 395/397 भादवि बनाम सात अज्ञात बदमाश पंजीकृत हुआ।
थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा उक्त घटना का अनावरण करते हुए दिनांक 18.05.19 को प्रातः समय 04.00 बजे मेरठ मोड से 04 शातिर अभियुक्तो को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है जिनके कब्जे से उक्त घटना में लूटा गया माल 1-एक वैलडिंग मशीन, 2-एक बडा कटर (ग्राईन्डर) मय होल्डर 3-दो मीडियम ग्राइन्डर/कटर 4-एक छोटा कटर 5-केबिल 20 मीटर मय होल्डर व एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस एवं घटना मे प्रयुक्त छोटा हाथी DL1LX 5604 बरामद हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण को उनके जुर्म मु0अ0सं0 390/19 धारा 395/397/412 भादवि व मु0अ0सं0 397/19 धारा 25 आयुद्ध अधि0 बनाम मौसम अली से अवगत कराकर जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त गणो द्वारा वायलर फैक्ट्री की दीवार फाँद कर चौकीदार को बन्धक बनाकर उसके साथ मारपीट कर उक्त घटना कारित की थी।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण-

(1) महबूब उर्फ राजा पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मुख्तयार होटल के पास कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

(2) मौसम अली पुत्र शहाबुद्दीन निवासी ग्राम खिंदौडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद।

(3) इन्तजार पुत्र आफाक निवासी नीलमणी कालोनी न्यू हिन्डन बिहार अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

(4) शहजाद उर्फ जोनी पुत्र पप्पन निवासी न्यू हिन्डन बिहार अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

बरामदा सामान-

1- एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस (अभियुक्त मौसम से बरामद)

2-एक वैलडिंग मशीन,

3-एक बडा कटर (ग्राईन्डर) मय होल्डर,

3-दो मीडियम ग्राइन्डर/कटर,

4-एक छोटा कटर,

5-केबिल 20 मीटर मय होल्डर
6-घटना मे प्रयुक्त छोटा हाथी DL1LX 5604

<u>लोनी पुलिस द्वारा चिरौडी मे व्यापारी से हुई सनसनीखेज लूट का खुलसा, 03 लूटरे गिरफ्तार कब्जे से लूट के 30,000/- रू0 व भारी मात्रा मे असलाह व कारतूस व घटना मे प्रयुक्त मो0सा0 बरामद-</u> दिनांक 28.04.19 की सुबह को थाना लोनी क्षेत्र चिरौडी बाजार मे एक व्यापारी से कुछ अज्ञात बदमाशो द्वारा लूट कर ली गई थी जिसके सम्बन्ध मे थाना लोनी पर मु0अ0सं0 429/19 धारा 394/504 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ।

उक्त घटना का खुलासा करते हुए थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 18.05.19 को समय 10.05 बजे घिटौरा मोड भटटे के पास से 03 शातिर लूटेरो को गिरफ्तार करनें में सफलता प्राप्त की है गिरफ्तार अभि0 मन्दीप के कब्जे से लूट के 11500/-रुपयें व घटना मे प्रयुक्त एक पिस्टल 32 बोर मय कारतूस 32 बोर तथा अभियुक्त मोनू के कब्जे से लूट के 8600/-
रू0 व एक CMP 315 बोर मय कारतूस 315 बोर तथा अभियुक्त सुमित उर्फ डीजे के कब्जे से लूट के 9900/-रू0 व एक CMP 315 बोर मय कारतूस 315 बोर तथा उपरोक्त तीनो अभियुक्त के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तो के नाम पतेः-</u>
1-मन्दीप पुत्र नवीन नि0 ग्राम भगोट थाना चादीनगर जिला बागपत
2.मोनू नागर पुत्र कमल सिंह नागर नि0 ग्राम दादूपुर थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर
3. सुमित नागर उर्फ डीजे पुत्र नरेन्द्र नागर नि0 ग्राम दादूपुर थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त मन्दीप-</u>
मु0अ0सं0 429/19 धारा 394/504/411 भादवि थाना लोनी गा0बाद
मु0अ0सं0 394/19 धारा 392/411भादवि थाना लोनी गा0बाद
मु0अ0सं0 382/19 धारा 307 भादवि थाना लोनी गा0बाद
मु0अ0सं0 491/19 धारा 3/25 A.Act थाना लोनी गा0बाद

<u>आपराधिक इतिहासअभियुक्त मोनू -</u>
मु0अ0सं0 429/19 धारा 394/504/411 भादवि थाना लोनी गा0बाद
मु0अ0सं0 394/19 धारा 392/411भादवि थाना लोनी गा0बाद
मु0अ0सं0 382/19 धारा 307 भादवि थाना लोनी गा0बाद
मु0अ0सं0 492/19 धारा 3/25 A.Act

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुमित उर्फ डीजे -</u>
मु0अ0सं0 429/19 धारा 394/504/411 भादवि थाना लोनी गा0बाद
मु0अ0सं0 394/19 धारा 392/411भादवि थाना लोनी गा0बाद
मु0अ0सं0 382/19 धारा 307 भादवि थाना लोनी गा0बाद
मु0अ0सं0 493/19 धारा 3/25 A.Act

जनपद मसूरी पुलिस द्वारा कई लूट की घटनाओं का खुलासा, आशू गैंग डी 112 का एक शातिर 25000/ रूपये का इनामी लुटेरा गिरफ्तार, कब्जे से लूट का मोबाईल व लूट के 6200 रूपये व अवैध असलाह बरामद- थाना मसूरी पुलिस द्वारा दिनांक 18/05/19निगरावटी चौराहे पर बने यात्री शैडसे दौराने गस्त व चैकिंग के दौराने मुखबिर खास की सूचना पर समय 02.20 बजे रात्रि एक शातिर 25000 रूपये का इनामी बदमाश/ लुटेरा कपिल उर्फ पचलं पुत्र महीपाल निवासी गावं ईसापुर थाना भोजपुर जिला गाजियाबादको गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से **एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 315 बोर एक अदद मोबाइल फोन एण्डरोयड MI कम्पनी व लूट के 6200/ रूपये नकद** बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त पर जनपद अमरोहा से 25000/ रूपये का ईनाम घोषित है तथा अन्य जनपद मेरठ व बु0शहर से भी अभि0 उपरोक्त पर पच्चीस पच्चीस हजार रूपये ईनाम की घोषणा की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व आपराधिक इतिहास–

(1) कपिल उर्फ पचलं पुत्र महीपाल निवासी गावं ईसापुर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद
मु0अ0सं0 243/19 धारा 392 भादवि थाना गुलावठी बु0शहर
मु0अ0सं0 313/19 धारा 392 भादवि थाना परतापुर मेरठ
मु0अ0सं0 206/19 धारा 392 भादवि थाना गजरौला अमरोहा
मु0अ0सं0 2736/18 धारा 392 भादवि थाना कविनगर गा0बाद
मु0अ0सं0 378/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना मसूरी गा0बाद

अभि0गण से पूछताछ का विवरण

अभियुक्त कपिल उर्फ पंचल उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि बरामदा मोबाइल फोन मैने तथा मेरे साथी चेतक पुत्र रोहतश निवासी छज्जूपुर थाना परतापुर जिला मेरठ ने मिलकर दिनाक 8-12-2018 को GDA मार्केट सैक्टर 7 राजनगर गा0बाद से एक महिला से लूटा था बरामदा रुपये के बारे मे बताया कि दिनाकं 9/5/19 को मेरे साथी चेतक व आशू उर्फ प्रवीन उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र राजेन्द्र नि0 गावं काजीपुर थाना मसूरी गा0बाद हाल निवासी गांव लोटी PS मुंडाली जिला मेरठ ने IMS कालिज डासना के गेट के सामने NH-9 से एक डस्टर गाडी लूटी थी तथा इसी गाडी से मैने एवं मेरे साथी (1) चेतक तथा (2) आशू उर्फ धर्मेन्द्र उर्फ प्रवीन व (3) शिवम पुत्र वीरपाल निवासी दयानतपुर थाना बाबूगढ जिला हापुड व (4) विक्की पुत्र राजकुमार निवासी गावं गेझां थाना परतापुर मेरठ व (5) एक बदमाश आशू का साथी जिसे आशू ही जानता है ने मिलकर उक्त डस्टर गाडी से दिनाकं 11/12/-5-19 की रात को गुलाबठी बुलन्दशहर मे शिवांग पैट्रोलपम्प से 50,000/ रुपये लूटे थे। तथा उसी रात्रि मे चौधरी पैट्रोल पम्प परतापुर मेरठ से 20,000/ रुपये भी लूटे थे ।उपरोक्त लूटे गये रूपयो मे से मेरे हिस्से मे आये रुपयो मेसे गुलावठी पेट्रोल पम्प के 2000/ रुपये तथा चौधरी पेट्रोल पम्प परतापुर मेरठ के 1200/रू0ही बचे है शेष रुपये मेरे द्वारा खर्च कर लिए गये है तथा दिनाकं 24/4/19 को मैने एवं मेरे साथी राहुल पुत्र राजेन्द्र चौधरी नि0 गावं करनपुर जट थाना धौलाना जिला हापुड व सुमित पुत्र विजय ठाकुर नि0 गावं बीकेपुर थाना धौलाना जिला हापुड हाल निवासी कस्बा व थाना दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर एंव आशू उर्फ धर्मेन्द्र उर्फ प्रवीन उपरोक्त द्वारा थाना बादलपुर क्षेत्र नोएडा से लूटी गई ब्रेजा कार से गजरौला जिला अमरोहा सेBPCL पैट्रोलपम्प से 45000/रुपये लूटे थे ।इस लूट मे मेरे हिस्से मे आये रुपयो मे से शेष 3000/ रुपये ही बचे थे शेष मेने खर्च कर दिये।

प्रकाश में आये अभि0गण का नाम व पता व आपराधिक इतिहास–

(1) आसू उर्फ प्रवीण उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र राजेन्द्र निवासी गावं काजीपुरा थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

(2) चेतक पुत्र रोहताश निवासी छज्जू थाना परतापुर जिला मेरठ

अभियुक्त से बरामदगीः-

(1) एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 315 बोर

(2) एक अदद मोबाइल फोन एण्डरोयड MI कम्पनी

(3) विभिन्न लूट के 6200/ रूपये नकद बरामद होना।

थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा लूट/चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार जिनके कब्जे से नाजायज चाकू व मोबाइल बरामद-

थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा दिनांक 18.05.19 को 33/11 kv उपकेन्द्र महाराजपुर व रंगोली तिराहा_के पास से_रात्रि में लूट / चोरी करने वाले 02 नफर अभि0गणों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की जिनके कब्जे से अलग- अलग 02 अदद चाकू व 01 मोबाइल बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. निकिल पुत्र लांगुरिया निवासी रस्सी वाली गली गोल चक्कर के पास थाना सीमापुरी दिल्ली (सम्बन्धित मु0अ0सं0- 214/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट)
2. किशन पुत्र स्व0 सतपाल निवासी बी0- 442 ब्रजविहार थाना लिंकरोड गाजियाबाद। (सम्बन्धित मु0अ0सं0- 215/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0- 216/19 धारा 414 भादवि)

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद चाकू नाजायज (सम्बन्धित मु0अ0सं0- 214/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट)
2. 01 अदद चाकू नाजायज (सम्बन्धित मु0अ0सं0- 215/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट)
3. 01 अदद मोबाइल (सम्बन्धित मु0अ0सं0 216/19 धारा 414 भादवि)